न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-03/2013/भीलवाड़ा (2013/00020)

1. रामबक्ष पुत्र स्व0 देवी गाडरी (मृतक) जरिये वारिसानः-
   1/1- सजना पत्नि स्व0 रामबक्ष,
   1/2- राधेशयम पुत्र स्व0 रामबक्ष,
   1/3- कैलाश पुत्र स्व0 रामबक्ष,
   1/4- किसन पुत्र स्व0 रामबक्ष,
   1/5- समता पुत्री स्व0 रामबक्ष,
   1/6- माया पुत्री स्व0 रामबक्ष,
   1/7- शांति पुत्री स्व0 रामबक्ष
   समस्त निवासीगण तस्वारिया, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. निया गाडरी पिता स्व0 भोला गाडरी,
2. मु0 जमनी बेवा स्व0 भोला गाडरी,
3. भोजा पिता स्व0 भैरू गाडरी,
   समस्त निवासीगण तस्वारिया, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, भीलवाड़ा दिनांक 23.10.2012.

उपस्थितः-

1. श्री मदनलाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पोडेंटस .

निर्णय

दिनांक :- 10.5.2018

अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तस्वारिया का विवादित नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 10.7.1989 को निरस्त कराने हेतु

अपीलांट के पिता रामबक्ष द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में प्रकरण संख्या 30/89 बउनवान रामबक्ष बनाम भोला गाडरी व अन्य प्रस्तुत किया गया । उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने निर्णय दिनांक 18.10.1989 को निर्णय पारित कर अपीलांट्स की अपील अपास्त करने का आदेश पारित किया । उक्त निर्णय दिनांक 18.10.1989 के विरूद्ध अपीलांट्स ने न्यायालय हाजा में अपील बउनवान रामबक्ष बनाम मृतक भोला के वारिसान निया पुत्र भोला द्वारा प्रस्तुत की गई । न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 29.3.1996 द्वारा अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 10.7.1989 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, भीलवाड़ा को उभयपक्ष की नियमानुसार साक्ष्य एवं सुनवाई की जाकर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2012 द्वारा नामांतकरण में विवादित आराजी खसरा नंबर 519, 520, 521, 150, 163, 169, 187, 427, 430, 543 राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 के नाम दर्ज करने तथा नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 10.7.1989 को बहाल करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम तस्वारिया की वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 150, 163, 169, 187, 427, 430 एवं 543 साबिक खसरा नंबर 30, 44, 46, 281, 283 एवं 299 गुलाब पिता हरलाल गाडरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । अपीलांट्स के पिता स्व0 देवी गाडरी गुलाब गाडरी के गोद गये और गोदपुत्र की हैसियत से उपरोक्त आराजी अपीलांट्स के पिता स्व0 देवी गाडरी के नाम दर्ज हुई थी। विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट्स के पिता देवी गाडरी ने अपने प्राकृतिक पिता महाराम गाडरी के पास रहते हुए स्वअर्जित आय से आराजी संख्या 519, 520, 521 साबिक खसरा नंबर 203 व 204 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.6.1954 से क्रय की थी तथा उक्त समय से अपीलांट्स के पिता एवं अपीलांट्स विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है । वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 150, 163, 169, 187, 427, 430 एवं 543 साबिक खसरा नंबर 30, 44, 46, 281, 283 एवं 299 कभी भी संयुक्त परिवार की आय से क्रय नहीं की गई और न ही गुलाब गाडरी के जीवनकाल में उक्त कृषि आराजियात पर गुलाब गाडरी व महाराम गाडरी का संयुक्त कब्जा काश्त नहीं रहा है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस

में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात को पारिवारिक सम्पति मानने में त्रुटि कारित की है । रामबक्ष स्व0 देवी का एकमात्र पुत्र था इसीलिये देवी गाडरी के फौत होने पर उनके एकमात्र जायंदा पुत्र अपीलांटस के पिता रामबक्ष के नाम विवादित आराजी का नामांतकरण संख्या 302 दिनांक 15.5.1989 को खोला जाकर अपीलांट रामबक्ष के नाम पर उक्त आराजियात दर्ज की गई थी । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात का नामांतकरण अपीलांटस के पिता रामबक्ष के पक्ष में दर्ज होने के पश्चात् प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान कैम्प सुवाणा ने विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांटस के पिता रामबक्ष, जो विवादित आराजियात के खातेदार थे, को बिना तलब किये, बिना सूचना दिये तत्कालीन तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा रेस्पो0 के नाम नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 10.7.1989 खोला गया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है । तहसीलदार, भीलवाड़ा ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.3.1996 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर तहसीलदार, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 23.10.2012 अपास्त किया जावे। xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेटस ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांटस एवं रेस्पो0 के परिवार के मुख्य पुरूष महाराम थे । महाराम के एक भाई गुलाब गाडरी थे जिनके कोई संतान नहीं थी तथा महाराम के तीन पुत्र देवी, भोला, भैरू हुए । देवी महाराम का सबसे बड़ा पुत्र था जो अपीलांट रामबक्ष के पिता थे तथा देवी के छोटे भाई भोला का पुत्र निया एवं बेवा जमनी है जो अपील में रेस्पोडेंटस है तथा भैरू पुत्र महाराम के एक पुत्र भोजा व एक पुत्री बिल्लू है जो भी अपील में रेस्पो0 है । विवादित आराजियात पुश्तैनी है । हाल आराजी संख्या 150 साबिक नंबर 30 मिन, हाल नंबर 163 साबिक नंबर 30 मिन, हाल नंबर 169 साबिक नंबर 44, हाल नंबर 187 साबिक नंबर 46, हाल नंबर 426 साबिक नंबर 290, हाल नंबर 427 साबिक नंबर 289, 291, हाल नंबर 428 साबिक नंबर 178/1, हाल नंबर 430 साबिक नंबर 283, हाल नंबर 543 साबिक नंबर 299 में से साबिक आराजी संख्या 30 मिन, 44, 46, 283, 289 व 299 गुलाब पिता हरलाल गाडरी के नाम दर्ज थी तथा साबिक आराजी संख्या 291, 178/1, 290 गुलाब गाडरी व अन्य के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड थी जिस पर महाराम व गुलाब दोनो ही संयुक्त रूप से काबिज काश्त थे । गुलाब की संवत् 2010 सन् 1953 में मृत्यु हो गई थी ओर उसके बाद उक्त आराजी कजोडी बेवा गुलाब के नाम दर्ज हुई लेकिन कब्जा काश्त सभी का रहा है। गुलाब व गुलाब की पत्नि कजोड़ी द्वारा देवी या अन्य किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया गया था । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि आराजी संख्या 519, 520 व 521 जिसके साबिक नंबर 203 व 204 है, भी संयुक्त परिवार की

पुश्तैनी आराजियात है । उक्त आराजियात देवी, जो कि भैरू व भोला में सबसे बड़ा भाई था और महाराम का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण स्नेहवश उक्त आराजियात संयुक्त परिवार की आय से देवी के नाम क्रय की गई किन्तु कब्जा तीनों भाईयों का शामलात रूप से रहा है । यह भी कथन किया कि देवी परिवार में बड़ा होने के कारण महाराम व गुलाब की मृत्यु उपरांत राजस्व अधिकारियों द्वारा महाराम व गुलाब के सजरे की जांच नहीं कर मनमकसुद तौर से एवं मिलीभगत कर देवी को गुलाब गाडरी का गोदपुत्र बताकर गुलाब के नाम उक्त आराजियात देवी के नाम तस्दीक कर दिया जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि देवी के जीवित रहते परिवार में कोई विवाद नहीं था लेकिन देवी की मृत्यु उपरांत अपीलांट के पिता रामबक्ष पुत्र देवी, भोला व भैरू तथा कानी का हिस्सा नकारने लग गया जिस पर भोला व भैरू व कानी बेवा महाराम द्वारा राजस्व कैम्प में प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर संपूर्ण जांच होकर जरिये इंतकाल संख्या 326 से आराजियात रामबक्ष, भैरू, भोला व कानी प्रत्येक के नाम 1/4- 1/4 हिस्से से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई तथा अपीलांटस एवं रेस्पो0 इसी अनुसार विवादित आराजियात पर काबिज काश्त है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण संख्या 326 के विरूद्ध अपीलांट रामबक्ष द्वारा प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी,, भीलवाड़ा के न्यायालय में की गई जो खारिज होने पर द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई जो निर्णय दिनांक 28.3.1996 द्वारा आंशिक स्वीकार होकर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया । न्यायालय हाजा के आदेश की पालना सन् 2010 में हुई परन्तु इस दौरान सन् 1996 से 2010 के मध्य अपीलांट द्वारा अन्य व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजियात में से निहित अपने 1/4 हिस्से का बैचान किया गया गया है तथा इन बैचान पत्रों में अपीलांट द्वारा स्पष्ट रूप से अपना हिस्सा नामांतकरण संख्या 326 के अनुसार 1/4 होना दर्शाया है। अपीलांटस की उपरोक्त स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पुश्तैनी होकर प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2003 पार्ट-3 पेज 1891 एवं आर0आर0डी0 1974 पेज 63 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । विवादित आराजियात के भाव बढ़ने से अपीलांट रेस्पो0 की आराजियात हड़पना चाहता है ।

5- विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट रामबक्ष ने अपने पिता देवी को गुलाब गाडरी के यहां गोद जाना बताया है किन्तु गोद के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है एवं वैसे भी गोद का प्रश्न सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया जा सकता है । विद्वान तहसीलदार, भीलवाड़ा ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन कर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस

की बहस पर मनन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अपीलांटस के पूर्वज स्व0 देवी गाडरी गुलाब गाडरी के गोद गये और गोद पुत्र की हैसियत से आराजी अपीलांटस के पूर्वज देवी गाडरी के नाम दर्ज हुई । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष स्व0देवी गाडरी को गुलाब गाडरी द्वारा गोद लिये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि गुलाब गाडरी ने देवी गाडरी को कब गोद लिया । जहां तक अपीलांटस द्वारा गाडरी समाज के राव बड़वा द्वारा गोद लिये जाने के संबंध में प्रस्तुत तथाकथित दस्तावेज का प्रश्न है अपीलांटस ने उक्त राब बड़ा कुन्दनमल राव के बयान अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं कराये है जिससे तथाकथित दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से गुलाब गाडरी द्वारा देवी गाडरी को गोद लिया जाना साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28.3. 1996 की पालना सन् 2010 में हुई एवं इस दौरान सन् 1996 से 2010 के मध्य अपीलांट द्वारा अन्य व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजियात में निहित अपने 1/4 हिस्से का बैचान भिन्न-भिन्न विक्रय पत्रों के माध्यम से किया जाता रहा है । अपीलांटस द्वारा अपने विक्रय पत्रों में स्पष्ट रूप से अपना हिस्सा इंतकाल संख्या 326 के अनुसार 1/4 होना दर्शाया है । उक्त विक्रय पत्रों में अपीलांटस की स्वंय की स्वीकारोक्ति है कि विवादित आराजियात में नामांतकरण संख्या 326 के अनुसार उसका 1/4 हिस्सा है तथा स्वंय की स्वीकारोक्ति से बढ़कर और कोई साक्ष्य नहीं हो सकती है तथा अब स्वीकारोक्ति के विपरीत विवादित आराजियात बाबत् चाराजोही करना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 2003 पार्ट-3 पेज 1981 पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि 'स्वीकार किये गये तथ्यों को साबित करना जरूरी नहीं-जहां पक्षकारों के तथ्य की बहुत ही विनिर्दिष्ट एवं पूर्ण स्वीकृति है वहां उस स्वीकृति को स्वीकृति देने वाले पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है ।' उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि अप्रार्थी भोजा गाडरी द्वारा प्रार्थी के तर्को का समर्थन करना विश्वसनीय नहीं है क्योंकि भोजा के पिता भैरू गाडरी ने अपनी माता कानी व अपने भाई भोला गाडरी के साथ राजस्व कैम्प में प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा अप्रार्थी के पिता भैरू गाडरी व स्वंय भौजा गाडरी द्वारा विवादित आराजियात में अपने हिस्से अनुसार बैचान किये गये है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध बयान डी0डब्ल्यू02 नारायण पिता बालू गाडरी, निवासी ग्राम तस्वारिया ने भी अपने बयानों में यह कथन किया है कि ''गुलाब या कजोड़ी द्वारा अपीलांटस के पिता देवी या अन्य किसी को गोद नहीं लिया गया था । पक्षकारान की पुश्तैनी वादग्रस्त आराजियात 22 बीघा 16 बिस्वा ग्राम तस्वारिया में स्थित है, गुलाब बड़ा भाई होने के कारण आराजियात गुलाब के नाम थी । गुलाब की मृत्यु के पश्चात् राजस्व

कर्मचारियों द्वारा परिवार के सजरे की जांच न कर मनमर्जी से आराजियात देवी के नाम बड़ा होने के नाते दर्ज की गई है लेकिन परिवार में जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं था । ” इसी प्रकार अन्य गवाह डी0डब्ल्यू0 3 उगमा पिता बालू जाट ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि विवादित आराजियात पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी हक अधिकार की पुश्तैनी आराजियात है जिस पर सभी अपने-अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है । उपरोक्त साक्ष्यों से यह भली-भांति साबित है कि विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी हक अधिकार की पुश्तैनी आराजियात है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 10.7.1989 को बहाल करने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस अपास्त योग्य एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

-ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 03/2013 (2013/00020) बउनवानी रामबक्ष बनाम निया गाडरी को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 8/2010 बउनवान रामबक्ष बनाम निया गाडरी में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 10.5.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर